80

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
## सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3988—एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—01—2013 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला अशोक नगर के प्रकरण कमांक 147/स्व0 निगरानी/2006—07.

.....

गजराज सिंह पुत्र सूरत सिंह कुशवाह
निवासी ग्राम नैथाई तहसील ईसागढ
जिला अशोकनगर म0प्र0

——— आवेदक

**विरूद्ध**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश
अशोक नगर म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 पी0 पालीवान अभिभाषक, अनावेदक

.....

**आदेश**

(आज दिनांक 12.01.2018 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—01—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार ईसागए ने ग्राम नैथाई की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 36 रकवा 0.125 है0 सर्वे कमांक 37 रकवा 0.304 है0 म0 प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (3) के अन्तर्गत निगरानीकर्ता के नाम पर भूमि स्वामी घोषित किया

गया है। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर की ओर से प्रतिवेदन में वर्णित अनियमित कार्यवाही होने से स्वप्रेरणा में निगरानी में लिये जाने हेतु प्रापत होने पर परीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में गभींर अनियमिततायें होने के कारण निरस्त किये जाने हेतु आवेदक को नोटिस जारी किया गया गया। कारण बताओं नोटिस की तामील होने के पश्चात आवेदक के अधिवक्ता द्वारा नोटिस का जबाव पेश नहीं किया और दिनांक 9.1.13 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई और दिनांक 30.1.13 को आदेश पारित किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में सलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 36 रकवा रकवा 0.125 है0 सर्वे कमांक 37 रकवा 0.304 है0 भूमियों के ऐसे छोटे छोटे टुकडे जो पहाडी अथवा पथरीली असिंचित भूमि के मामले में 0.500 है0 से अधिक न हो अथवा अन्य प्रकार की असिंचित भूमि के मामले में 1/2 है0 या उससे कम हो और जो किसी व्यक्ति को स्वतं रूप से बंटित नहीं किये जा सकते हों भूमि के बेहतर उपयोग की दृष्टि से उससे लगी भूमि भू–धारी को बंटित किये जा सकेंगे। भूमि का आवंटन द्वारा परिपत्र में निर्धारित सामान्य प्रकिया के अनुसार किया जावेगा । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के छोटे–छोटे टुकड़ों का आबंटन कंडिका 24 खण्ड 4 (3) में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है इस बात का उल्लेख कलेक्टर जिला अशोक नगर द्वारा अपने आदेश में किया गया है। प्रकरण में यह भी लेख है कि ना तो ग्राम पंचायत को सूचना दी गइ और ना ही ग्राम पंचायत का संकल्प प्राप्त किया हैं मात्र आवेदक द्वारा स्वयं पंचायत का प्रस्ताव पेश किया हे जो संलग्न हैं स्पष्ट है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। आवेदक के पास पूर्व से परिवार के नाम 0.892 है0 भूमि धारणकर्ता है अर्थात वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता हैं ऐसे व्यक्ति कोजो अपने स्वयं के नाम पूर्व से ही 0.892 है0 भूमि धारणकर्ता है, उसे राजस्व पुस्तक परिपत्र विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है।

4–**राज्य शासन राजस्व विभाग द्वारा राजस्व पुस्त के तहत जारी आदेश कमांक 1973/1/79/7/2 दिनांक 25.8.79 के अनुसार दिनांक 31.12.1976** के पूर्व के बेजा

कब्जे को ही व्यवस्थापित किया जा सकता है जबकि विशेष उपबंध अधिनियम के अंतर्गत कब्जे की अवधि 2.10.1984 अथवा पूर्व की होना आवश्यक हैं अतिक्रमण के कब्जे के मान से भी आवेदक का अतिक्रमण न होने से पात्रता नहीं रखता है और ना ही किसी अन्य आदेश के अंतर्गत पात्रता रखता है। अतः स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला अशोकनगर के आदेश में कोई वैधानिकता परिलक्षित नहीं होने के कारण उनका आदेश दिनांक 30.1.13 स्थिर रखे जाने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 147/स्वमेव निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2013 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर